

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 50/2025 (GCMS NO. 2025/245)

1. राजपाल सिंह पुत्र जगना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
2. राकेश कुमार पुत्र जगना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
3. मजू पुत्री जगना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
4. सोहनी देवी पत्नी जगना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल दत्तक पुत्र लिछमण राम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
2. अनिल कुमार पुत्र शिवभगवान जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
3. सुनील कुमार पुत्र शिवभगवान जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
4. सरोज पुत्री शिवभगवान जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
5. सीमा देवी पत्नी शिवभगवान जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
6. रतन पुत्र गणेशा जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
7. राधेश्याम पुत्र गणेशा जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
8. श्रवण पुत्र गणेशा जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
9. शुभकरण पुत्र गणेशा जाति दरोगा निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
10. रामप्यारी पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
11. पूनम पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
12. मोहन पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
13. रामकुमार पुत्र गोदुराम जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
14. दलीप पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
15. ओमकवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
16. मिन्दू कवर पुत्री बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
17. राजबाला कवर पुत्री बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।
18. सांवत सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।



19. नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
20. पेपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
21. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
22. मनोहरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
23. योगेन्द्रसिंह पुत्री शिवदान सिंह राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
24. शिवदानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
25. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीरुसिंह सर्किल जरिये शाखा प्रबन्धक
26. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
27. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला जरिये शाखा प्रबन्धक
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — मो० सुफियान

वकील अनावेदकगण—

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 17.12.2025

संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम नांद की सरहद में भूमि हाल ख.न. 266 रकबा 1.52 है० भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की उक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल बचाने व अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवाना चाहता है। जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाई जानी आवश्यक है। आवेदक द्वारा अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान पटवारी हल्का नांद से दिनांक 14.06.2023 को करवाया था परन्तु आवेदक सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ है। इसलिये आवेदक अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि के समस्त पड़ोसी खातेदारों को आवश्यक पक्षकार अनावेदकगण बनाया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 27 बाद तामिल अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 27 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।



जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नांद स्थित भूमि ख०न० 266 रकबा 1.52 है० भूमि का आवेदकगण के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाया जावे तथा मौके पर कोई विवाद नहीं होने के स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर